प्रेस नोट
दिनांक : 11.11.2025

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा मध्य रात्रि चलाया गया ग्रैंड चेकिंग अभियान -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मध्य रात्रि में जनपद गोण्डा के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी तथा बीट आरक्षियों द्वारा अपने-अपने सर्किल व थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्त एवं ग्रैंड वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत मुख्य चौराहों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों व जनपदीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी गई। दो पहिया और चार पहिया वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध व लावारिस वाहनों का सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की गई। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, ढाबे, होटल एवं लॉज आदि संवेदनशील स्थलों पर विशेष चेकिंग की गई, एवं तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया रात्रि पिकेट ड्यूटी और बैंक ड्यूटी का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया। यूपी-112 पीआरवी वाहनों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर त्वरित पुलिसिंग सुनिश्चित की गई। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि यदि किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल डायल-112 अथवा नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.11.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 11.11.2025

थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-0246/2025 धारा 85/80 (2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 दहेज हत्याभियुक्ता लखराजी पत्नी स्व0 रामलखन निवासी ऐली परसौली घोड़हनपुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा को शिवागंज बन्धा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.11.2025 को वादी अंकित जयसवाल पुत्र स्व० विजय बहादुर निवासी बगरहवा मौजा धमरैया थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना उमरी बेगमगंज पर दिया कि उन्होने अपनी बहन की शादी करीब दिनांक 02.03.2025 को दुर्गेश जायसवाल पुत्र स्व0 रामलखन नि0 ऐली परसौली पूरे घोड़हनपुरवा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति दुर्गेश व अन्य ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। वादी का आरोप है कि 03.11.25 को रात करीब दिन में ससुरालीजनों ने उनकी बहन का मारकर फांसी पर लटका दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरी बेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.11.2025 को थाना उमरी बेगमगंज के वरिष्ठ उ0नि0 रविन्द्र प्रसाद मय टीम के क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, सूचना पर दहेज हत्याभियुक्ता लखराजी पत्नी स्व0 रामलखन निवासी ऐली परसौली घोड़हनपुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा को शिवागंज बन्धा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लखराजी पत्नी स्व0 रामलखन नि0 ऐली परसौली घोड़हनपुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 0246/2025 धारा 85/80 (2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. वरि0उ0नि0 रविन्द्र प्रसाद
02. उ0नि0 अंगद सिंह
03. हे0का0 रामप्रीत यादव
04. का0 पीयूष यादव
05. म0का0 प्रिया

मीडिया सेल, गोण्डा